न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 565/2020 जी.सी.एम.नम्बर 2020/00477

1. शम्भु पुत्र श्री सूजाराम, जाति नाई, आयु वर्ष, निवासी– ग्राम केसरी सिंहपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

– अपीलांट

बनाम

1. जगदीश बागडा पुत्र श्री मोती बागडा, जाति बागडा, ग्राम केसरी सिंह पुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर (मृतक दौराने विचारण)
   1/1 श्रीमती दाखा देवी पत्नी स्व. श्री जगदीश बागडा।
   1/2 मदन लाल बागडा पुत्र स्व. श्री जगदीश बागडा।
   निवासी– ग्राम केसरी सिंह पुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।(मृतक दौराने)
   1/2/1 श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व. श्री मदल लाल बागडा।
   1/2/2 रमेश बागडा पुत्र स्व. श्री मदन लाल बागडा।
   1/2/3 श्रीमती सुक्खा देवी पुत्री स्व. श्री मदन लाल बागडा।
   1/2/4 श्रीमती बीना देवी पुत्री स्व. श्री मदल लाल बागडा।
   समस्त जातियान बागडा, निवासीयान– ग्राम केसरीसिंहपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
   1/3 मूलचन्द बागडा पुत्र स्व. श्री जगदीश बागडा।
   1/4 बंशी बागडा पुत्र स्व. श्री जगदीश बागडा।जाति बागडा ब्रहाम्ण,
   निवासीयान– ग्राम केसरीसिंहपुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
   1/5 कमली देवी पत्नी श्री कानजी पुत्र स्व. जगदीश बगाडानिवासी श्रीरामपुरा बालावाला के पास, सांभरलेक जिला जयपुर।
2. श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय, सांभरलेक जिला जयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स।

अपील अंतर्गत धारा 223 काश्तकारी अधिनियम आदेश दिनांक 06.08.2019 श्रीमान न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (तृतीय) जयपुर के विरूद्व ।

उपस्थित–

1. श्री हरफूल खींची, वकील अपीलान्ट।
2. श्री गोपाल शर्मा वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 02.08.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2019 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 06.08.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर निर्णय दिनांक 06.08.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जाहिर किया कि खसरा नं. 293 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ग्राम केसरीसिंहपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त खसरा नं 293, राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन तलाई दर्ज की है। उक्त गैर मुमकिन तलाई की भूमि को प्रत्यर्थी सं. 1 (मृतक) ने स्वयं के नाम दर्ज करवा ली तथा राजस्व रिकार्ड में उसका पृथक से खसरा नं. 293/1 अंकित करवा लिया। अपीलार्थी को यह भी ज्ञात हुआ कि प्रत्यर्थी सं. 1 (मृतक) ने उपखंड अधिकारी, सांभर जयपुर के समक्ष वरवूक्त आवेदन दर्शित किया कि वह खसरा नं. 293, 285, 286, 283 पर काबिज है तथा प्रत्यर्थी सं. 2 ने समस्त नियमों को दरकिनार करते हुए अपने आदेश दिनांक 15.05.76 द्वारा उक्त गैर मुमकिन तलाई की भूमि का आवंटन प्रत्यर्थी सं. 1 (मृतक) के पक्ष में कर दिया जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार गैर मुमकिन तलाई की भूमि पर खातेदारी अधिकार कानूनन सृजित नही हो सकते है, ना ही भूमि की किस्म को परिवर्तित किया जा सकता है। उक्त अपील पर माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 06.08.2019 को निर्णय पारित कर अपील तकनीकी आधारों पर खारिज फरमा दी। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया कि अपीलार्थी ने आवंटन के 40 वर्षो पश्चात अपील प्रस्तुत की है तथा विलम्ब से अपील प्रस्तुत का कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया, ना ही विलम्ब माफ करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होना मानते हुए इसी आधार पर अपील खारिज फरमा दी जबकि अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्पष्ट अंकित किया है कि अपीलार्थी को उक्त अवैध आवंटन की जानकारी सर्वप्रथम माह नवम्बर 2015 में हुई जानकारी होते ही नियमानुसार अपीलार्थी ने अवैध आवंटन को चुनौती दी साथ ही अपीलार्थी ने दौराने बहस माननीय अधिनस्थ न्यायालय से निवेदन किया कि उक्त अवैध आवंटन शून्य है जिसको चुनौती देने हेतु मियाद की कोई पाबंदी नही है। लेकिन माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दुओं एवं अपील मीमो का ध्यानपूर्वक अवलोकन ना कर सरसरी तौर पर आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया, जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट प्रमाणित है कि विवादित जमीन की किस्म गैर मुमकिन तलाई थी जो सार्वजनिक उपयोग हेतु थी तलाई की भूमि धारा 16 (vi) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार एक ऐसी भूमि है जो सार्वजनिक कार्य में आती है। इस प्रकार की भूमि 1970 के आवंटन नियमों के नियम 4(1) के अनुसार आवंटित नहीं की

राजस्व अपील अधिकारी जयपुर

जा सकती थी इसके अलावा अपीलार्थी ने माननीय अधिनस्थ न्यायालय को राजस्व मंडल के वृहत पीठ के द्वारा निर्णित केस दुर्गा प्रसाद बनाम पन्नालाल को कोड कर जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अंतर्गत विवादित जमीन आती है इसलिये आवंटन के समय उपखंड अधिकारी ऐसी भूमि की किस्म को परिवर्तित नही कर सकता था उपखंड अधिकारी केवल उसी भूमि की किस्म परिवर्तित कर सकता है जो कि राजस्व रिकार्ड में गैर–मुमकिन दर्ज हो और 1970 के आवंटन नियमों के नियम 4 के अंतर्गत प्रतिबंधित श्रेणी में न आती हो। हस्तगत प्रकरण में विवादित जमीन गैर मुमकिन तलाई थी जो धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दर्ज श्रेणी में आती थी और इसका आवंटन 1970 के आवंटन नियमों के नियम 4 से प्रतिबंधित था और ऐसी भूमि की किस्म परिवर्तन उपखंड अधिकारी नही कर सकता था लेकिन माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त अवैध आवंटन को मात्र तकनीकी आधारों पर खारिज कर वैध बना दिया जो कि न्याय की कतई मंशा नही है। इसी कारण आक्षेपित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया किअपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुरके समक्ष अपील प्रस्तुत कर दिनांक 15.05.1976 के आदेश को चुनौतित किया गया है जिसको लगभग 40 वर्ष हो गये है फिर भी अपीलार्थी ने धारा 5 समयावधि अधिनियम 1963 की प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तथा विलम्ब से अपील प्रस्तुत का कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया, इसलिए अपील सरसरी तौर पर ही अवधि बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् ही कानूनन अपील खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्मत हैं जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में अपीलांट को नकल दिनांक 03.01.2020 को प्राप्त होने के कारण अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील लगभग 40 वर्ष बाद मियाद बाहर प्रस्तुत की है। मियाद के संबंध में अपीलार्थी ने विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया

संभागीय आयुक्त
जयपुर

है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील जो कि आवंटन के लगभग 40 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई इस संबंध में अपीलार्थी ने इतने लम्बे समय पश्चात अपील प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी अंकित नहीं किया था जबकि धारा 5 मियाद अधिनियम में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि विलम्ब के समय को कण्डोन करने बाबत अपीलार्थी विलम्ब के कारणों का विस्तृत रूप से दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ एक प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 के तहत अपील के साथ प्रस्तुत करेगा। लेकिन अपीलार्थी ने अपील मीमो के साथ ही धारा 5 का प्रार्थना पत्र साथ ही धारा 96 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा असाधारण विलम्ब के कारणों का संतोषप्रद एवं ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं करने की स्थिति में विधिवत् ही अपील खारिज किये जाने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित व विधिसम्यक है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2019 यथावत रखा जाता है।

(डॉ आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर